

न्यायालय:- पंकज कुमार, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१ बैतूल
जिला-बैतूल (म.प्र.)

व्यवहार वाद क्रमांक-52 ए/2017

संस्थित दिनांक-14/03/2017

फाईलिंग नंबर 234/2017

प्रदीप कुमार पिता स्व. हाकिमचंद गंगवानी,
उम्र 54 वर्ष, जाति पंजाबी पेशा व्यवसायी
निवासी राजेन्द्र वार्ड बैतूलगंज बैतूल
थाना तह. जिला- बैतूल (म0प्र0)

.....**वादी**

विरुद्ध

- 1 **म.प्र.शासन,**
द्वारा- जिला कलेक्टर बैतूल
- 2 तहसीलदार बैतूल
3. श्रीमती रूकमाबाई जौजे मानू उईके उम्र 40 वर्ष,
जाति गोंड निवासी ग्राम परसोडी थाना तह.
जिला बैतूल हाल-मुकाम हमलापुर बैतूल तह. जिला बैतूल
4. श्रीमती रामद्विती बाई बेवा हाकीमचंद गंगवानी
उम्र 75 वर्ष नि. राजेन्द्र वार्ड बैतूलगंज बैतूल
तह. जिला बैतूल म.प्र.
5. शाखा प्रबंधक बैंक आफ महाराष्ट्र
शाखा बैतूल गंज बैतूल तह. जिला बैतूल
6. शाखा एच.डी.एफ.सी. बैंक प्रबंधक,
शाख बैतूल गंज बैतूल तह. जिला बैतूल म.प्र.**प्रतिवादीगण**
!! आदेश !!

(आज दिनांक 21/03/2018 को पारित)

- (1) इस आदेश द्वारा वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यप्रसं आई ए नं 1/2018 का निराकरण किया जा रहा है।

P.T.O.

(2) संक्षेप में वादपत्र अभिवचन इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी क्रमांक-4 नजूल शीट नंबर 23, 24 एवं 25 प्लॉट नंबर 7/11, 1/10, 1/21 एवं 1/22 कुल रकबा 3204 वर्गफुट के भूमिस्वामी है जिसमें से नजूल शीट नंबर 23 प्लॉट नंबर 1/21 क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट पर एक कच्चा मकान लगभग 50 वर्ष पुराना बना हुआ है। नजूल शीट नंबर 25 प्लॉट नंबर 7/11 क्षेत्रफल 204 वर्गफुट की एक दुकान ओम मेडिकल स्टोर के सामने है, जिसका रजिस्टर्ड तबादलानामा दिनांक 09-11-2016 को राजेन्द्र पिता रामलुभाय गंगवानी से किया गया है जिसका वर्तमान नजूल शीट नंबर 25 प्लॉट नंबर 7/11 क्षेत्रफल 204 वर्गफुट है, जिस पर पक्की दुकान पुरानी दुकान से तीन दुकान छोड़कर ओम मेडिकल स्टोर स्थित है। नजूल शीट नंबर 23 प्लॉट नंबर 1/12 क्षेत्रफल 1410 वर्गफुट एवं नजूल शीट नंबर 24 प्लॉट नंबर 1/10 क्षेत्रफल 90 वर्गफुट इस प्रकार कुल 1500 वर्गफुट भूमि स्थित है।

(3) प्रतिवादी क्रमांक-3 ने वादी के विरुद्ध धारा 10 कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अधीन मामला पेश किया था जिसमें दिनांक 22.01.2010 को वादी के विरुद्ध 3,22,085/-रूपये क्षतिधन भुगतान करने के आदेश पारित किये थे। उक्त आदेश के विरुद्ध वादी ने अग्रिम कार्यवाही की लेकिन उसके पक्ष में कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई। वादी द्वारा प्रतिकर राशि अदा नहीं की गई तब श्रम न्यायालय बैतूल द्वारा आर.आर.सी. जारी कर तहसीलदार बैतूल को क्षति धन राशि वसूली हेतु निर्देशित किया गया

जिसका तहसीलदार बैतूल के न्यायालय में क्षतिधन वसूली प्रकरण क्रमांक 05/अ-76/09-10 है। वादी की करीब 8-10 वर्ष से आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है इसलिये वह प्रतिवादी क्र. 3 के पक्ष में राशि जमा नहीं करा पाया। प्रतिवादी क्र. 2 तहसीलदार बैतूल के समक्ष वादी ने यह निवेदन किया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है इसलिये उसके द्वारा 10,000/-रुपये की राशि जमा की जा रही है तथा शेष राशि का भुगतान किश्तों में अदा किये जाने की अनमति दी जावे लेकिन तहसीलदार द्वारा 10,000/-रुपये नहीं लिये और संपूर्ण राशि एक मुश्त अदा करने को कहा गया अन्यथा वादी की संपत्ति नीलाम विक्रय की कार्यवाही कर राशि वसूली हेतु कहा गया। प्रतिवादी द्वारा नजूल भूमि के अतिरिक्त प्रतिवादी की मौजा परसोडी तहसील जिला बैतूल स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 51 रकबा 2.808 हे. भी स्थित है जिसे भी प्रतिवादी तहसीलदार द्वारा कुर्की की कार्यवाही की जा रही है। यह भूमि भी बंधक है तहसीलदार को उक्त वादग्रस्त भूमियों को बिना बंधनमुक्त किये विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रतिवादी क्र. 1 व 2 मध्यप्रदेश शासन तथा तहसीलदार के विरुद्ध बिना बंटवारा किये भूमि नीलाम व विक्रय की कोई कार्यवाही न करने की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु दावा पेश करते हुये इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है कि प्रतिवादी क्र. 1 व 2 प्रकरण के निराकरण तक वादग्रस्त खसरा नंबर 51 रकबा 2.808 हे. मौजा परसोडी खुर्द तहसील व जिला बैतूल के संबंध में कोई नीलामी व

विक्रय की कार्यवाही न करे।

(4) केवल प्रतिवादी क्रमांक 3 ने जवाब पेश करते हुये आवेदन पत्र के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुये अभिकथित किया है कि प्रतिवादी क्र. 3 द्वारा कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिकरण बैतूल के समक्ष 2007 में वादी के विरुद्ध प्रकरण पेश किया गया था जिसमें अवार्ड पारित किया गया था उस आदेश के परिपेक्ष्य में लेवी वारण्ट जारी किया गया है। तहसीलदार बैतूल के समक्ष लेवी वारण्ट 2010 से लंबित है, वादी द्वारा श्रम न्यायालय के अवार्ड के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी जो निरस्त कर दी गई है। वादी द्वारा पूर्व में भी अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया गया था जो अस्वीकार किया गया है जिसके विरुद्ध वादी ने माननीय द्वितीय अपर जिला न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गई है जो वर्तमान में लंबित है, कोई स्थगन नहीं मिला है। लेवी वारण्ट के विरुद्ध वादी को अधिकारिता नहीं है कि व्यवहार वाद के माध्यम से कोई अनुतोष पा सके, व्यवहार न्यायालय में उसके विरुद्ध कोई विचारण नहीं हो सकता, वादी द्वारा तहसीलदार बैतूल के न्यायालय से जारी आर.आर.सी. की कार्यवाही को उलझाने के उद्देश्य से यह वाद पेश किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक-3 द्वारा दावा एवं आवेदन पत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

(5) शेष प्रतिवादीगण द्वारा आवेदन पत्र का कोई जवाब

पेश नहीं किया गया है।

(6) अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी आवेदन पत्र के निराकरण के लिये तीन बिंदुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होता है :-

- 1- क्या वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण है ?
- 2- क्या सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ?
- 3- क्या अपूर्ण क्षति का बिंदु आवेदक के पक्ष में है ?

(7) उपरोक्त तीनों बिंदुओं पर विचार सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है ताकि तथ्यों की पुनरावृत्ति न हो।

(8) प्रकरण में यह स्वीकृत है कि प्रतिवादी क्रमांक-3 द्वारा वादी के विरुद्ध कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन पेश किया गया था जिसमें दिनांक 12-01-2010 को श्रम न्यायालय बैतूल द्वारा रुकमाबाई के पक्ष में 3,22,085/-रुपये मय शास्ति एवं ब्याज के दिलाये जाने के आदेश दिये गये हैं जिसकी वसूली हेतु श्रम न्यायालय द्वारा तहसीलदार बैतूल अर्थात् प्रतिवादी क्रमांक-2 को आर.आर.सी. जारी किया गया है। वादी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि मौजा परसोड़ी की उक्त भूमि को प्रतिवादी क्रमांक-2 कुर्क किये जाने हेतु तत्पर है। उन भूमियों को बैंकों से बंधनमुक्त किये बिना प्रतिवादी क्रमांक-2 व 3 को किसी भी माध्यम से नीलाम व विक्रय किये जाने का कोई अधिकार नहीं है लेकिन यहाँ यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी क्रमांक-3 के पक्ष में वादी के विरुद्ध कर्मकार अधिनियम के

अधीन क्षतिपूर्ति राशि के आदेश पारित किये गये हैं। श्रम न्यायालय ने वादी द्वारा राशि अदा न किये जाने के बाद आर.आर.सी. तहसीलदार बैतूल को जारी किया गया है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि आर.आर.सी. के अधीन तहसीलदार द्वारा राशि वसूली हेतु कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी चल एवं अचल संपत्ति से वसूल की जा सकती है। वादी के विरुद्ध भी राशि वसूली हेतु आर. आर. सी. जारी हुई है जिसका निष्पादन तहसीलदार द्वारा किया जा रहा है। आर.आर.सी. वसूली तहसीलदार द्वारा विधि अनुरूप की जा रही है जिसे स्थगित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है और वैसे भी विधिक कार्यवाहियों को स्थगन के माध्यम से रोका नहीं जा सकता है।

(9) चूंकि तहसीलदार द्वारा विधि अनुरूप कार्यवाही की जा कर आर. आर. सी. की वसूली की जा रही है, ऐसी दशा में वादी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं पाया जाता है और न ही उसे सुविधा या असुविधा का प्रश्न ही उत्पन्न होता है परिणामस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 व्यप्रसं आई ए नं 1/2018 निरस्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में पारित कर
हस्ताक्षरित किया गया ।

मेरे निर्देश में टंकित
किया गया ।

(पंकज कुमार)

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-१
बैतूल

(पंकज कुमार)

बैतूल

Contd. - 7